रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 12.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, बुधवार फरवरी, 10, 1988/माघ 21, 1909
No. 83] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 1988/MAGHA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

22.4.88

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1988

आदेश

का. आ. 151 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976, (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 41(अ) [सं. 1205/फा. सं. 414/2/76-आ. क. (आई. एन. वी.)] तारीख 15 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, स्तम्भ (2) में क्रम संख्या (1) के सामने "कुमारी उषा सावारा" शब्दों के स्थान पर "श्री वी. पसुपथी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

उक्त आदेश के नीचे की उक्त सारणी में, स्तम्भ (2) में अधिकारियों के नाम निम्नलिखित होंगे :—

उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1.	श्री वी. पसुपथी, सक्षम प्राधिकारी जिनका मुख्यालय बम्बई में स्थित होगा ।
2.	श्री ए. एन. गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा ।
3.	श्री के. वी. राजन, सक्षम प्राधिकारी जिनका मुख्यालय मद्रास में स्थित होगा ।

[सं. 7765 फा. सं. 299/8/88—आई. टी. (आई. एन. वी.-III)]

डी. पी. पन्त, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th February, 1988

ORDER

S. O. 151(E)—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with sub-section (2) of Section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forefeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S. O. 41(E) [No. 1205/F. No. 414/2/76-IT(Inv.)] dated the 15th January, 1976, namely :—

In the Table below the said order, in Column (2) against serial No. 1 for the words "Miss Usha Savara", the words and letter "Shri V. Pasupathy" shall be substituted.

The name of Officers in the Column (2) of the said Table below the said order will be as follows :—

Serial No. in the Column (1) of the said Table	Name of Officers
1.	Shri V. Pasupathy, Competent Authority with Headquarters at Bombay.
2.	Shri A. N. Gupta, Competent Authority with Headquarters at New Delhi.
3.	Shri K. V. Rajan, Competent Authority with Headquarters at Madras.

[No. 7765 F. No. 299/08/88-IT(INV.III]

D. P. PANTA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988